

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण अधिकारी को अगर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

उत्तर रेलवे द्वारा जफराबाद-अकबरपुर रेलमार्ग दोहरीकरण में जनपद-जौनपुर में किमी० सं०-823.250 से 874.355 तक प्रभावित 34.3636 हे० संरक्षित वनभूमि व बाधक 123 वृक्ष, जनपद-सुल्तानपुर में किमी० 874.355 से 884.545 तक प्रभावित 7.3816 हे० संरक्षित वनभूमि व बाधक 20 वृक्ष तथा जनपद-अम्बेडकर नगर में किमी० 884.545 से 906.780 तक प्रभावित 15.5496 हे० संरक्षित वनभूमि व बाधक 189 वृक्ष अर्थात् कुल प्रभावित 57.2948 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 332 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

Proposal संख्या-एफपी/यूपी/रेल/43640/2019

राज्य सरकार की सिफारिशें- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी-121/81-2-2020-800(124)/2020, दिनांक 11 दिसम्बर, 2020 के द्वारा प्रस्ताव पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।)

दिनांक 11.12.2020

हस्ताक्षर

()

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव
पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।